

भारत सरकार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2424
जिसका उत्तर 13.03.2025 को दिया जाना है
कार चालकों की सुरक्षा

2424. श्री अनिल यशवंत देसाई:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) कार से यात्रा करने वाले सड़क यात्रियों की सुरक्षा के लिए मानक दिशानिर्देश क्या हैं;
- (ख) सड़क पर कार चलाने के लिए आवश्यक विभिन्न सुरक्षा श्रेणियां क्या हैं;
- (ग) किसी भी वाहन जैसे दो, तीन और चार पहिया वाहनों में अचानक आग लगने के क्या कारण हैं;
- (घ) क्या इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) में अचानक आग लगने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि इन वाहनों में बिजली/भारी इलेक्ट्रिक बैटरी मौजूद होती है;
- (ङ) यदि हां, तो क्या ईवी वाहनों के निर्माताओं द्वारा सुरक्षा मानकों का कोई उल्लंघन किया जा रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (च) क्या ऐसी घटनाओं के लिए किसी विनिर्माता को कोई दंड दिया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) और (ख) सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित सुरक्षा मानकों का वाहन निर्माताओं द्वारा अनुपालन किया जाना है। केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 126 में प्रावधान है कि मॉड्यूलर हाइड्रोलिक ट्रेलरों सहित मोटर वाहनों का प्रत्येक निर्माता या आयातक, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में उस एजेंसी द्वारा टाइप अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए, किसी भी अधिसूचित परीक्षण एजेंसी को वाहन का प्रोटोटाइप प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा, भारत न्यू कार एसेसमेंट प्रोग्राम (बीएनसीएपी), एक स्वैच्छिक कार्यक्रम के रूप में, सुरक्षा परीक्षणों की एक श्रृंखला के माध्यम से यात्री कार सुरक्षा रेटिंग की अवधारणा पेश करता है।

(ग) और (घ) वाहन में आग, ईंधन के प्रकार के आधार पर विभिन्न कारणों से लग सकती है, जिसमें विद्युत दोष, ईंधन प्रणाली लीक, अधिक गर्मी, टकराव, विद्युत शॉर्ट सर्किट, खराब बैटरी आदि शामिल हैं।

(ङ.) और (च) सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों में बैटरी और उसके घटकों, बीएमएस और संबंधित प्रणालियों के लिए सुरक्षा मानकों के निर्माण का सुझाव देने के संबंध में विशेषज्ञों की एक समिति गठित की थी। समिति की सिफारिशों और हितधारकों से मिले इनपुट के आधार पर, इलेक्ट्रिक वाहनों की सुरक्षा आवश्यकताओं को बढ़ाने के लिए सरकार का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एस.ओ. 4567(अ) दिनांक 28 सितंबर, 2022 के तहत ऑटोमोटिव उद्योग मानकों, एआईएस:156 [एल (चार पहियों से कम का मोटर वाहन और क्वाड्रिसाइकिल) श्रेणी के इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन वाहन के लिए विशिष्ट आवश्यकताएं] और एआईएस:038 (संशोधन 2) [एम श्रेणी के लिए विशिष्ट आवश्यकताएं, (यात्री को ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले कम से कम चार पहियों वाला मोटर वाहन) एन श्रेणी (माल ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले कम से कम चार पहियों वाला मोटर वाहन) में संशोधन किया है। उक्त संशोधन 31 मार्च, 2023 से प्रभावी हैं।
